FORM No. III

APP-A
Crim=I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ मुकाम ______

कानी पुत्री देवा बनाम किरण पुत्री [illegible]

किस्म मुकदमा 212 नं. 09 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3/3/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली खुमार [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 3/3/21 को खुली अदालत में सुनाया गया। [signature] सहायक कलेक्टर {S.D.O.} बदनोर जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) बदनोर

बईजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–09/2018

उनवान

1– कानीदेवी पुत्री देवा पत्नी भैरुलाल नायक निवासी इन्द्रपुरा,हाल बागोलिया तहसील रायपुर।
2– कल्लुदेवी पुत्री देवा पत्नी रतनलाल नायक निवासी इन्द्रपुरा, हाल सिंहपुरा तहसील बदनोर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1 किरण पुत्री विष्णु नायक ना0बा0 जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता रुकमणी पत्नी विष्णु नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील बदनोर।
2– पूजा पुत्री विष्णु नायक ना0बा0 जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता रुकमणी पत्नी विष्णु नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील बदनोर।
3– रुकमणी पत्नी विष्णु नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील बदनोर।
4– कमलादेवी पुत्री देवा पत्नी भैरुलाल नायक निवासी इन्द्रपुरा हाल कटार तहसील आसीन्द।
5– ग्राम सेवा सहकारी समिति जगपुरा जरिये व्यवस्थापक।
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बदनोर।
7– उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय बदनोर।

–विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री पदमसिंह देथा, वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 31.03.2021

1– प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 से लगायत 4 की पुस्तेनी आराजियात सरहद इन्द्रपुरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द हाल तहसील बदनोर में स्थित है। जिसके आराजी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 53 कुल किता 7 रकबा 1.93 हैक्टयर भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से लगायत 3 के नाम पर दर्ज है।
2– उक्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की पुस्तैनी होकर जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 व 2055 से 2058 तक प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 4 के पिता व विपक्षी संख्या 1 व 2 के दादा व विपक्षी संख्या 3 के ससुर देवा पिता बख्तावर नायक के

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

नाम पर दर्ज चली आ रही थी। परन्तु 2 दिसम्बर 1996 को देवा की मृत्यु के बाद नामान्तकरण सं0 17 दिनांक 15.10.2001 को खोला गया उसमे देवा के सभी कानूनी वारिसो की जॉच नहीं की जाकर मिली भगत से केवल देवा के एक लडका विष्णु को ही जाईन्दा सन्तान बताकर उक्त विरासतीय नामान्तकरण खोला गया व विष्णु के अकेले के नाम पर भूमि दर्ज होने की आड में विष्णु की दिनांक 10.04.2018 को मृत्यु होने से विपक्षी सं. 1 से लगायत 3 ने अपने नाम पर दर्ज करा ली जबकि सही तौर पर देवा के प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 4 जाईन्दा पुत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की वारीस मौजूद थी परन्तु पटवार हल्का ने प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 4 को देवा की वारीस नही बताकर अकेले विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता व विपक्षी संख्या 3 के पति विष्णु अकेले के नाम पर दर्ज कर दी जबकी प्रार्थीगण व विपक्षी सं0 4 का नाम भी दर्ज होना चाहिये था।

3– पारिवारिक सजरे अुनसार प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा व विपक्षी सं. 1 से 3 का 1/4 हक हिस्सा व विपक्षी सं. 4 का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 14.05.2018 को विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी दी प्रार्थीगण ने कहा कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की होकर प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस पर विपक्षी सं. 1 से 3 ने प्रार्थीगण को कहा कि देवाजी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्र विष्णु के नाम दर्ज हो गयी, विष्णु की मृत्यु के पश्चात विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हो गयी है। इस कारण से प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करके रहेगें। तथा आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण करके रहेगे। इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई की प्रार्थीगण के पिता देवाजी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 4 देवाजी की जाईन्दा पुत्रियां होने के बावजूद भी विपक्षी सं. 1 से 3 के पिता व पति, विष्णु में राजस्व कमचारियो से मीलिभगती कर प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने दिया। अकेले अपने नाम पर दर्ज करवा दी। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारीणी है।

4– यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 अन्य के साथ मिलकर प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देंगे व विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठा कर उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण, खुर्द–बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेंगे। इस लिए प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

5– प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 1 से

सहायक-कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

3 प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर देंगे व आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण, खुर्द–बुर्द कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा।

6– अंत में अंकित किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण को ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील बदनोर की आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 7 रकबा 1.93 हैक्टयर भूमि से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे। तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और नही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन विक्रय, हस्तांतरण, खुर्द–बुर्द करे तथा न ही वादग्रस्त आराजियात के विक्रय/हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजियन करावे। विपक्षी संख्या 7 भी विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात के विक्रय/हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज पेश करने पर उनका पंजियन नही करे। तथा विपक्षी संख्या 6 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे।

7– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1,2,3,5 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 29.11.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। अप्रार्थी सं0 4 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध को दिनांक 19.02.2021 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी 6 व 7 के पेरोकार राज उपस्थित हुए जिनके द्वारा प्रकरण में राजहित नही होने से जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

8– तत्पश्चात वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 से 4 की मौरुसी पुस्तेनी आराजीयात है जो देवा पिता बख्तावर नायक के नाम दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार देवा के फोत होने पर उसकी विरासत का नामन्तकरण उसके पुत्र विष्णु के नाम खोला गया जो विधि विरुद्ध है। वकील प्रार्थी का यह भी कथन था कि प्रार्थीगण मृतक खातेदार की विधिक वारिसान होने से इनके नाम भी नामन्तकरण खुलना चाहिये था। वादग्रस्त आराजियात विपक्षी सं0 1, 2, 3 के नाम दर्ज रेकार्ड होने से वह आराजियात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिन्है अनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

9– मेने वकील प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

10– प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

मौजा इन्द्रपुरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी नंबर 2,3,4,5,6,7,8 किता 7 रकबा 1.93 हैक्टयर भूमि देवा पिता बख्तावर नायक सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तथा नामांतरकण संख्या 917 दिनांक 15.10.2001 से विरासत से देवा के बजाय विष्णु पिता देवा का नाम दर्ज रेकार्ड आना भी स्पस्ट हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 91 दिनांक 05.05.2018 के अनुसार वादग्रस्त आराजी विष्णु पिता देवा के बजाय नाबालिग किरण, पूजा पुत्री विष्णु, रूकमणी पत्नि विष्णु को नाम दर्ज रेकार्ड आना प्रकट आया है।

11— यहाँ प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात उनके पिता देवा पिता बख्तावर नायक के नाम दर्ज रेकार्ड थी। देवा की मृत्यु के पश्चात जो नामन्तकरण उनके एकमात्र पुत्र विष्णु के नाम खोला गया है जबकि प्रार्थीगण भी मृतक खातेदार की पुत्रीयां होने से उनका भी वादग्रस्त आराजीयात में हक हिस्सा निहित है। चूंकि यहां यह तो निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजियात देवा पिता बख्तावर नायक के नाम दर्ज रेकार्ड थी और प्रार्थीगण मृतक खातेदार देवा की पुत्रीयां है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में दिये गये प्रावधानुसार मृतक खातेदार की संपति में उसके पुत्र व पुत्रीयों का समान हक हिस्सा माना गया है। हालांकि यह तो मूल वाद में वाद साक्ष्य सबूत से तय होना है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त होंगे या नही चुँकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीण सं0 1 से 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है यदि उन्हें रोका नही गया तो वह अपने खाते के बल पर प्रार्थीगण को उनके हक हकूक की आराजीयात से बेदखल कर देंगे तथा आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थीगण अपने मौरुसी हक अधिकारों से वंचित रहकर उसे भारी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा। लिहाजा प्रथम दृश्टिया मामला सुविधा व न्याय सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में इस स्टेज पर प्रकट होने से प्रार्थना प्रत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

—:आदेश:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मौजा इन्द्रपुरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील बदनोर की आराजी नंबर 2,3,4,5,6,7,8 कुल किता 7 रकबा 1.93 हैक्टयर, भूमि को विक्रय करने कराने से रुके रहे तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूलवाद के साथ सलंग्न रहे। आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बदनोर
जिला-भीलवाड़ा